

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.06.2017 जनपद हमीरपुर-

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिनेश कुमार पी के निर्देशन मे जनपद हमीरपुर मे दिनांक- 11.06.2017 को कानून व्यवस्था,अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियानो मे निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की गयी।

15 -ली0 कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक 11.06.2017 को थाना बिवार पुलिस द्वारा अभियुक्त-लोकेश पुत्र घसीटा निवासी छानि खुर्द को 01जरीकेन में 05 लीटर कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-112/17,धारा-60 आबकारी अधिनियम दर्ज किया गया।

-दिनांक 11.06.2017 को थाना चिकासी पुलिस द्वारा अभियुक्त-प्रागी पुत्र चरन दास निवासी अर्तरा को 01जरीकेन में 10 लीटर कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-99/17,धारा-60 आबकारी अधिनियम दर्ज किया गया।

अवैध कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक 11.06.2017 को थाना बिवार पुलिस द्वारा अभियुक्त- विक्रम पुत्र रमेश निवासी चिल्ली को 02 अदद कारतूस 315बोर के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0110/17-,धारा-3/25 आम्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।

-01 वान्छित अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक 11.06.2017 को थानाध्यक्ष चिकासी ने मय हमराही पुलिस बल मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0-93/17,धारा- 324/223/504 भादवि के वांछित अभियुक्त-रमेश पुत्र मुन्नी लाल निवासी हरदुआ थाना चिकासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

शान्तिभंग की आशंका मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार-

-थाना राठ पुलिस द्वारा दिनांक 11.06.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

-थाना सिसोलर पुलिस द्वारा दिनांक 11.06.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

प्रेस विज्ञप्ति वाहन चेक दिनांक- 12.06.2017 जनपद हमीरपुर

जनपद हमीरपुर.... दिनांक 11.06.2017 को पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिनेश कुमार पी के आदेशानुसार यातायात व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद के समस्त थानों में दो पहिया व चार पहिया वाहनो का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान में हैलमैट,डी.एल ,वीमा, व आवश्यक कागजो का ना होना,तीन सवारी,अवैध नम्बर प्लेट,सीट बैल्ट ना लगाना,ओवरलोडिंग आदि के खिलाफ कार्यवाही की गयी।चेकिंग अभियान में समस्त थानों से चेक किये वाहनो में 55 वाहनो से 10,300 रु0 सम्मन शुल्क वसूला गया।